

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
 नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.
 वेबसाइट - <http://samvad.cg.nic.in> / फोन नं.0771-2512510
 क्रमांक-4124/छ.ग.सं/सोशल मीडिया/2024 नया रायपुर, दिनांक : 14/02/2024

निविदा संशोधन आमंत्रण सूचना


छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट संचारण एवं संचालन हेतु आमंत्रित निविदा सूचना क्रमांक-3494, दिनांक 23-01-2024 के नियम शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	पुराना नियम शर्तें	नया संशोधित नियम शर्तें
1	निविदा में भाग लेने हेतु ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26-02-2024 अपराह्न 2.00 बजे तक ऑन लाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 26-02-2024 अपराह्न 3.00 बजे तक ऑन लाईन जमा तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की तिथि करने की तिथि 26-02-2024 अपराह्न 4.00 बजे तक	निविदा में भाग लेने हेतु ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 05-03-2024 अपराह्न 2.00 बजे तक ऑन लाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 05-03-2024 अपराह्न 3.00 बजे तक ऑन लाईन जमा तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की तिथि करने की तिथि 05-03-2024 अपराह्न 4.00 बजे तक
2	नियम शर्तों के बिन्दु क्रमांक-3 (1) में छत्तीसगढ़ राज्य में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है। बिन्दु क्रमांक-3 (05) Financial Year 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के सी.ए. से सत्यापित एवं UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाण पत्र। तीन वर्षों का औसत न्यूनतम टर्न ओवर रु. 50 लाख होना अनिवार्य है। बिन्दु क्रमांक-3 (12) के 8 पर रील शॉर्ट्स बनाने का अनुभव।	नियम शर्तों के बिन्दु क्रमांक-3 (1) में छत्तीसगढ़ राज्य में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है। राज्य में जीएसटी पंजीयन हेतु जमा आवेदन के ARN प्रति मान्य किया जाएगा, परन्तु राज्य की जीएसटी पंजीयन की प्रति उपलब्ध करने के पश्चात ही संबंधित फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। बिन्दु क्रमांक-3 (05) Financial Year 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के सी.ए. से सत्यापित एवं UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाण पत्र। तीन वर्षों का औसत न्यूनतम टर्न ओवर रु. एक करोड़ होना अनिवार्य है। रेल शॉर्ट्स बनाने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।
3	बिन्दु क्रमांक-4 (2) पर कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध अवधि में अनुबंधित शर्तें एवं दर नवीन निविदा अनुमोदन तक अथवा अधिकतम दो वर्ष वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।	कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध अवधि में अनुबंधित शर्तें एवं दर पर एक वर्ष के लिए अथवा नवीन निविदा अनुमोदन तक वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
4	बिन्दु क्र.4 (10) में चयनित फर्म के गंभीर त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म/आवेदक द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात की जाएगी एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।	चयनित फर्म के गंभीर त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म/आवेदक द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात की जाएगी एवं दो वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।
5	बिन्दु क्रमांक-4 (11) कार्य/सेवा संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में संबंधित माह के देयक राशि में 2 प्रतिशत पेनाल्टी की कटौती की जाएगी।	सोशल मीडिया प्रबंधन एवं संचालन कार्य/सेवा संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में संबंधित माह के देयक राशि में 2 प्रतिशत पेनाल्टी की कटौती की जाएगी।
6	बिन्दु क्रमांक-6 (2) में टेक्नीकल विड में निविदा शर्त अनुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले फर्मों को पृथक से प्रस्तुतिकरण (PPT) हेतु सूचित किया जाएगा।	टेक्नीकल विड में निविदा शर्त अनुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले फर्मों को पृथक से प्रस्तुतिकरण (PPT) हेतु सूचित किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण की अवधि 10 मिनट का होगा, जिसमें फर्म द्वारा अब तक उनके द्वारा सोशल मीडिया एकाउंट संचारण एवं संचालन हेतु किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी एवं मुख्यमंत्री कार्यालय तथा जनसंपर्क विभाग के सोशल मीडिया के एकाउंट संचारण की भविष्य की योजना पर प्रस्तुतिकरण किया जाना है।
7	बिन्दु क्रमांक-7 (अ) के 1 पर टर्न ओवर- रु. 50 लाख से 75 लाख तक-10 अंक रु. 75 लाख से 1.00 करोड़ तक-15 अंक रु. 1.00 करोड़ से अधिक होने पर-20 अंक बिन्दु क्रमांक-7 (अ) के 1 में साक्ष्य हेतु संबंधित सी.ए. से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	बिन्दु क्रमांक-7 (अ) के 1 पर टर्न ओवर- रु. 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ तक-10 अंक रु. 2.00 करोड़ से 3.00 करोड़ तक-15 अंक रु. 3.00 करोड़ से अधिक होने पर-20 अंक नियम शर्तों के बिन्दु क्रमांक-7 (अ) में साक्ष्य हेतु संबंधित सी.ए. से सत्यापित एवं UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

पूर्व पृष्ठ से निरन्तर :-

क्र.	पुराना नियम शर्तें	नया संशोधित नियम शर्तें
8	बिन्दु क्रमांक-7 (अ) के 02 में शासकीय/अर्द्धशासकीय/पीएसयू में कार्य अनुभव। साक्ष्य हेतु संबंधित विभाग से जारी कार्यादेश की प्रति संलग्न करना होगा। अंक-15	1- किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया एकाउंट संधारण एवं संचालन का कार्य अनुभव -06 अंक (एक राज्य के अनुभव पर 03 अंक) 2- किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग के सोशल मीडिया एकाउंट संधारण एवं संचालन का कार्य अनुभव-04 अंक (एक राज्य के अनुभव पर 02 अंक) 3- केन्द्र एवं राज्य के निगम मंडल एवं पीएसयू के सोशल मीडिया एकाउंट संधारण एवं संचालन का कार्य अनुभव-05 अंक (एक निगम, मण्डल एवं पीएसयू के कार्यादेश पर 01 अंक दिया जाएगा) साक्ष्य हेतु संबंधित विभाग से जारी कार्यादेश की प्रति संलग्न करना होगा। अप्रैल 2014 के पूर्व के कार्यादेश को मान्य नहीं किया जाएगा।
9	क्रमांक-7 (अ) के 03 में अन्य/निजी संस्थाओं का कार्य अनुभव : साक्ष्य हेतु अन्य संस्थाओं/निजी संस्थाओं से जारी कार्यादेश अथवा संबंधित संस्था को फर्म/निविदाकार द्वारा जारी देयक की प्रति संलग्न करना होगा। अंक-05	अन्य निजी संस्थाओं का कार्य अनुभव अंक-05 (किसी एक निजी संस्था के सोशल मीडिया एकाउंट संधारण एवं संचालन का कार्य अनुभव-01 अंक दिया जाएगा) साक्ष्य हेतु अन्य निजी संस्थाओं से जारी कार्यादेश अथवा संबंधित संस्था को फर्म/निविदाकार द्वारा जारी देयक की प्रति संलग्न करना होगा। अप्रैल 2014 के पूर्व के कार्यादेश को मान्य नहीं किया जाएगा।

शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।


मुख्य-कार्यपालक अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर